# न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर जिला भीलवाड़ा

## पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—99 / 2019 (2019 / 00165) प्रार्थना पत्र

**अनवान**

1—देवीलाल पिता सवाईराम गुर्जर निवासी गलवा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2—प्रभुलाल पिता सवाईराम गुर्जर निवासी गलवा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3—देवीलाल पिता सवाईराम गुर्जर निवासी गलवा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4—कैलाशी पुत्री सवाईराम गुर्जर निवासी गलवा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5—लेहरी पत्नि सवाईराम गुर्जर निवासी गलवा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6—प्रेमदेवी पत्नि प्रभुलाल गुर्जर निवासी गलवा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

**प्रार्थीगण**

**बनाम**

1—नारायण पिता बरदा गुर्जर निवासी गलवा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2—कमला पुत्री बरदा पत्नि रतन गुजर निवासी गलवा हाल रामपुरिया तहसील रायपुर
3—सुखी पुत्री बरदा पत्नि छोगा गुर्जर निवासी गलवा हाल कालीमंगरीकाखेड़ा तहसील सहाड़ा
4—संतु पुत्री बरदा पत्नि रामचन्द्र गुर्जर निवासी गलवा हाल सिमाल तहसील आमेट
5—रामु पुत्री बरदा गुर्जर निवासी गलवा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6—मांगीदेवी पत्नि बरदा गुर्जर निवासी गलवा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7—भैरू पत्नि हीरा गुर्जर निवासी गलवा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8—प्यारा पिता हीरा गुर्जर निवासी गलवा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
9—उदा पिता हीरा गुर्जर निवासी गलवा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
10—भूरी पिता किशनलाल गुर्जर निवासी गलवा हाल दियास तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा
11—सीमा नाबाबेवि सरंक्षक माता शंकरी पत्नि किशनलाल गुर्जर नि0गलवा हाल दियास तह. सहाड़ा
12—माया नाबाबेवि सरंक्षक माता शंकरी पत्नि किशनलाल गुर्जर नि0गलवा हाल दियास तह. सहाड़ा
13—शंकरी पत्नि किशनलाल गुर्जर निवासी गलवा हाल दियास तहसील सहाड़ा

**विपक्षीगण**

## प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित
1. सुनिल जैन, जाकिर हुसैन — अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. हरिश टेलर — अधिवक्ता विपक्षीगण

दिनांकः—04.01.2022

**निर्णय**

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.02.18 16:34:28 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 के खातेदारी अधिकार एवं काश्तकार [illegible] कृषि आराजियात राजस्व ग्राम गलवा तहसील रायपुर में आराजी संख्या 1890 / 1229 रकबा 0.21 है0, 1236 रकबा 0.23 है0, 1892 / 1239 रकबा 0.03 है0, 1894 / 1472 रकबा [illegible] है0, 1474 रकबा [illegible] है0 कुल किता 5 कुल रकबा 0.76 है0 भूमि स्थित है। इसी प्रकार प्रार्थी संख्या 6 की आराजी संख्या 1891 / 1229 रकबा 0.21 है0, 1893 / 1239 रकबा 0.27 है0, 1895 / 1472 रकबा 0.15 है0, 1896 / 1477

रकबा 0.13 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 0.76 है0 भूमि स्थित है। इसी के पास में विपक्षी संख्या 1 लगायत 13 की ग्राम गलवा में स्थित आराजी संख्या 1227 रकबा 0.13 है0, 1230 रकबा 0.34 है0, 1231 रकबा 0.37 है0, 1232 रकबा 0.10 है0, 1237 रकबा 0.25 है0, 1240 रकबा 0.22 है0, 1241 रकबा 0.26 है0, 1242 रकबा 0.47 है0 कुल किता 8 कुल रकबा 2.14 है0 भूमि स्थित है। विपक्षी संख्या 1 लगायत 13 अपनी संयुक्त खातेदारी आराजी संख्या 1227, 1230, 1231, 1232 में आवागमन बिलानाम आराजी संख्या 1225 गै.मु. रास्ता से होकर करते चले आ रहे है। एवं आराजी संख्या 1240, 1241, 1242 में आवागमन बिलानाम आराजी संख्या 1313 गै.मु. रास्ता से होकर आराजी संख्या 1285, 1281, 1280, 1279, व 1290 में मौके पर बने हुए रास्ते से होकर आराजी संख्या 1244 व 1243 में प्रवेश हो करते चले आ रहे है। यह रास्ता आगे सीतरामजी के मन्दिर तक जा रहा है। आराजी संख्या 1243 की उत्तरी मेड़ पर मौके पर विपक्षीगणो द्वारा लोहे की फाटक लगा रखी है। प्रार्थीगण ने सुरक्षा की दृष्टि से अपनी आराजी संख्या 1236 व 1239 की पूर्वी मेड़ पर लोहे की जाली रखी है। विपक्षीगण की आराजी संख्या 1240, 1241, 1242 में आवागमन प्रार्थीगण की आराजी संख्या 1236, 1239 में नही होते हुए भी विपक्षीगण ताकत के बल पर प्रार्थीगण की आराजी संख्या 1236, 1239 में अनाधिकृत प्रवेश होकर आवागमन करना चाह रहे है। प्रार्थीगण द्वारा मना करने पर भी ताकत के बल पर लोहे की जाली को तोड़ने पर आमादा है जिससे विपक्षी संख्या 1 लगायत 13 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पांबद किया जाना आवश्यक है। प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया मामला प्रमाणित है तथा सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है। यदि विपक्षीगण को प्रार्थीगण की आराजी संख्या 1236, 1239 मे से आवागमन करने से नही रोका गयाा तो प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होने की संभावना है तथा पक्षकारान के मध्य विवाद बढ़ जायेंगे। अतः प्रार्थीगण की सादर प्रार्थना है कि प्रार्थीगण के पक्ष में विपक्षीगण के विरूद्व ताफैसला मूलवाद इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावे कि विपक्षी संख्या 1 लगायत 13 अपनी आराजी संख्या 1240, 1241, 1242 में किसी प्रकार से आवागमन विपक्षी की आराजी संख्या 1236 व 1239 की पूर्वी मेड़ पर लगी जाली (मेड़बन्दी) को किसी प्रकार से क्षतिग्रस्त न तो स्वयं करे न अन्य से करावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर दिनांक 14.08.2019 को प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर विपक्षी को नोटिस जारी किया गया। नोटिस की पालना में विपक्षीगण की ओर से अधिवक्ता उपस्थित जवाब प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया।

विपक्षीगण द्वारा अपने जवाब में अंकन किया कि प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 1 से 3 स्वीकार है एवं कलम संख्या 4 अस्वीकार करते हुए निवेदन किया कि विपक्षीगण की आराजी संख्या 1240, 1241, 1242 में आवागमन बिलानाम आराजी संख्या 1313 गे.मु रास्ता से होकर आराजी संख्या 1285, 1281, 1280, 1279 व 1290 में होकर 1244 व 1243 में प्रवेश नही करते आ रहे है न ही इन आराजियात में कोई रास्ता है तथा न ही विपक्षीगण द्वारा लोहे की फाटक लगा रखी है। आराजी संख्या 1236 व 1239 की पूर्वी मेड़ पर प्रार्थीगण ने लोहे की जाली पूर्व में कभी नहीं लगाई और हम विपक्षीगण की आराजी संख्या 1240, 1241 व 1242 से विपक्षीगण की आराजी संख्या 1227, 1232 व कुएँ की आराजी संख्या 1228 पर आवागमन करने

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.02.18 16:34:28 IST
Reason: SelfAttested

हेतु एक मात्र रास्ता आराजी संख्या 1236, 1239, 1233, 1234 व 1235 की पूर्वी मेड़ पर ही स्थित है, और इसी रास्ते से हम विपक्षीगण वर्षों से व प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के मध्य हुए बंटवारे के पूर्व से ही आवागमन करते चले आ रहे हैं, जिसमें किसी प्रकार की रोक टोक नहीं हैं। नये सिरे से कोई आवागमन हम विपक्षीगण नहीं कर रहे। उक्त रास्ता वर्षो पूराना है, किन्तु प्रार्थीगण जानबुझकर उक्त रास्ते को बन्द करना चाहते हैं। इस हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं। प्रार्थना पत्र की कलम नम्बर 06 गलत होने से अस्वीकार हैं। प्रार्थीगण की आराजी संख्या 1236 व 1239 में प्रार्थीगण स्वयं हम विपक्षीगण की आराजी संख्या 1228 के फेरे में होकर उसके आगे हम विपक्षीगण की आराजी संख्या 1232 व फिर आगे नारायण, पारस, लच्छु पिता नानुराम व घीसी बेवा नानुराम की आराजी संख्या 1233, 1234, व 1235 की पूर्वी पाली पर स्थित रास्ते से होकर ही आवागमन कर रहे हैं। और इसी रास्ते से होकर हम विपक्षीगण आगे प्रार्थीगण की आराजी संख्या 1236 व 1239 की पूर्वी पाली पर स्थित रास्ते से होकर हम विपक्षीगण की आराजी संख्या 1240 की उत्तरी पूर्वी भुजा पर स्थित वर्षो पुरानी लोहे की फाटक से प्रवेश होकर फिर आराजी संख्या 1241, 1242 में प्रवेश कर आवागमन करते चले आ रहे हैं, किन्तु प्रार्थीगण जानबुझ कर विपक्षीगण को परेशान करना चाहते है और रास्ता बन्द करना चाहत है। मजीद कथन के रूप में निवेदन किया कि विपक्षीगण की आराजी संख्या 1227 की पूर्वी दक्षिणी की कोने पर व आराजी संख्या 1232 के उत्तरी पूर्वी कोने पर प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की सामलाती कुऐं की आराजी संख्या 1228 स्थित हैं। हम विपक्षीगण हमारी आराजी संख्या 1227 1228, 1232 से हम विपक्षीगण की ही आराजी संख्या 1240, 1241, 1242 में आवागमन करने का एक मात्र रास्ता पारस, लच्छु, नारायण पिता नानुराम व घीसी बेवा नानुराम की आराजी संख्या 1233, 1234, व 1235 की पूर्वी पाली पर होकर आगे प्रार्थीगण की आराजी संख्या 1236 व 1239 जिसके बट्टा नम्बर 1892 / 1239 व 1893 / 1239 हैं, किन्तु तरमीम नहीं होने से इसके मुल नम्बर 1239 की पूर्वी पालियों पर होकर पगडण्डी के रूप में आज भी स्थित हैं और इसी रास्ते से होकर प्रार्थीगण अपने कुऐं की आराजी संख्या 1228 में आने वाले पानी का उपयोग उपभोग करने के लिये आवागमन करते हैं। तथा इन आराजियात व कुऐं से वापस इसी रास्ते से विपक्षीगण की आराजी संख्या 1241, 1240 तथा हम विपक्षीगण की आराजी संख्या 1240 की उत्तरी मेड पर लोहे की फाटक भी हमने लगा रखी हैं। तथा आराजी संख्या 1233, 1234, 1235,1236 व 1239 की पचिमी मेड़ पर तालाब की मोहरी स्थित है जिससे तालाब व कुएं का पानी विपक्षीगण की आराजी संख्या 1240, 1241, 1242 में आता है। प्रार्थीगण इसको बन्द करना चाहता है जिसका उनको कोई कानुनी अधिकार नही है।

**प्रकरण में उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई –**

प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए मुख्य कथन किया कि विपक्षीगण के आवागमन के लिये रास्ता अलग से होते हुए भी प्रार्थीगण की आराजी से ताकत के बल पर आवागमन करना चाहते है जिसे मूल वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा से रोका जाना अति आवश्यक है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.02.18 16:34:28 IST
Reason: SelfAttested

विपक्षी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस मे कथन किया कि विपक्षीगण पूर्व में विपक्षीगण की इन्ही अराजियात से आवागमन करते थे जिसको विपक्षीगण द्वारा लोहे की जाली लगाकर बन्द कर दिया गया जिसे हटवाया जाकर आवागमन का रास्ता खुला कराया जाने का निवेदन करते हुए प्रार्थना पत्र को खारीज करने का निवेदन किया गया।

मैने सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन कर उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस पर मनन किया तो पाया कि ग्राम गलवा की उक्त वर्णित आराजियात प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी है। प्रार्थीगण व विपक्षीगण के मध्य इस आराजी के सम्बन्ध में एक प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में 48/2020 है जो विचाराधीन था जिसका निर्णय दिनांक 07.01.2021 को हो गया है जिसमें विपक्षीगण की आराजी संख्या 1240, 1241, 1242 में आवागमन हेतु अपनी सहखातेदारी आराजी संख्या 1228 से होता हुआ आराजी संख्या 1231 व 1237 की पश्चिमी मेड़ के सहारे सहारे होकर आगे प्रार्थीगण की आराजी संख्या 1238 से होता हुआ आवागमन करने का आदेश प्रदान किया जा चुका है। इस प्रकरण में भी इन्ही आराजियात बाबत् विपक्षीगण द्वारा आवागमन हेतु चाहा गया है जो पूर्व में आदेश प्रदान किया गया जा चुका है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विपक्षीगण के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना न्यायोचित है।

## आदेश

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट. स्वीकार कर मूलवाद के निस्तारण तक विपद्वीगण के विरूद्व इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि प्रार्थना पत्र में वर्णित ग्राम गलवा की आराजी संख्या 1236 व 1239 की पूर्वी मेड़ पर लगी जाली (मेड़बन्दी) को किसी प्रकार से क्षतिग्रस्त न तो स्वयं करे न अन्य से करावे। उक्त वर्णित आराजियात के रेकार्ड और मौके की यथास्थिति बनाई रखे। पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को आदेश की प्रति भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 04.01.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

04.01.2022
(सुन्दरलाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर उपखण्ड अधिकारी
रायपुर जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.02.18 16:34:28 IST
Reason: SelfAttested